कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

कमांक / 523 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08.04.2020

विभिन्न शासकीय सूत्रों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) एक संकामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए, ऐसे प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के पूर्व में जारी **आदेश (1) कमांक 454 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 24.03.2020** एवं **आदेश (2) कमांक / 489 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 31.03.2020**, प्रसारित किये जा चुके हैं।

इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त दोनों आदेशों के तहत, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संकमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु, दिनाक 14.04.2020 रात्रि 12.00 बजे तक, पूर्णतया तालाबंदी (लॉक–डाउन) के निर्देश दिये जा चुके हैं।

2. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी दोनों आदेशों के पठन से, आदेश (1) की कंडिका "स" में वर्णित कार्यालय / प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबदी (लॉक–डाउन) के प्रतिबंध से, शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार, के आदेश क्रमांक 40 / 3 / 2020 DM-I(A), दिनाक 03.04.2020, के परिपालन में, उक्त कंडिका "स" में वर्णित सूची की वृद्धि करते हुए, बढ़ते कम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भी, शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉक–डाउन) से छूट प्रदान की जाती है।

स–26. निम्न वस्तुओं / सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां:–

– **चाय उद्योग**

32. इस कंडिका में कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है:– **"कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानों (इसकी सप्लाई चेन सहित) को खुला रखना"**

37. **राज्यमार्गो पर ट्रकों के मरम्मत हेतु दुकानें, जो यथा संभव पेट्रोल पंपों या उसके आस–पास स्थित हों।**

3. छत्तीसगढ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, के पत्र क्रमांक 211 / मु.स. / 2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25.03.2020, एवं छत्तीसगढ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, के पत्र क्रमांक 161 / स.सा.प्र.वि. / 2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनाक 29.03.2020, में लेखानुसार, इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश (1) की कंडिका "स" में वर्णित सूची के सरल कमांक 4 में वृद्धि कर, पूर्णतया तालाबंदी (Lock Down) से शर्तो के अधीन छूट प्रदान करते हुए, उसके आगे यह अतिरिक्त पढा जाये :–

स–4. **" अस्पताल, वेटनरी अस्पताल एवं उसके जुडे समस्त स्वास्थ स्थापनाएं, जिसमें मेडिकल सप्लाई, उसका विनिर्माण एवं वितरण सम्मिलित है, निजी एवं शासकीय एव अर्द्धशासकीय क्षेत्र के डिस्पेंसरी, दवा, केमिस्ट, फार्मेसी, (जनऔषधी केन्द्र सहित), मेडिकल इक्यूपमेंट दुकान, लैब, दवा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, ऐम्बुलेंस, इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी की सेवाएं। इसके अतिरिक्त चिकित्सक, नर्स पैरामेडिकल स्टॉफ सहित समस्त प्रकार के चिकित्सीय कार्य में कार्यरत स्टॉफ एवं सहायक सेवाएं संबंधित व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति रहेगी।"**

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40 / 3 / 2020 DM-I(A), दिनांक 06.04.2020, के परिपालन में देश में चिकित्सा ऑक्सीजन (Medical Oxygen) के पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिये, इस कार्यालय के पूर्व में जारी दोनों आदेशों की कंडिका "स" में वर्णित सूची की वृद्धि करते हुए, बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को भी, शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉक–डाउन) से छूट प्रदान की जाती है :–

38.–

i. **मेडिकल ऑक्सीजन गैस / लिक्विड, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक, लिक्विड क्रायोजेनिक सिलेण्डर, लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक, एंबियंट वेपोराईजर एवं क्रायोजेनिक वाल्वज (Ambient Vaporisers & Cryogenic Valves), सिलेण्डर वाल्व तथा इनके सहायक उपकरणों की सभी निर्माण ईकाईयां (All manufacturing units)**

ii. **उपरोक्त वस्तुओं (Items) का परिवहन**

iii. **उपरोक्त वस्तुओं का अंतर्राज्यीय सीमा पार आवागमन (Inter State border movement)**

iv. **उपरोक्त वर्णित ईकाईयों में कार्यरत स्टॉफ / श्रमिकों के आवागमन की अनुमति होगी। उक्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को उनके घर से कारखाना तक आने–जाने के लिये अनुमति रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि ये सभी कारखाने अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करें।**

4. उक्त कंडिका "स" के अंतर्गत, पूर्व के जारी दोनों आदेशों एवं इस आदेश के तहत लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं के प्रमुखों / संचालक की यह जिम्मेदारी होगी, की लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग, तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहें निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगें।

5. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियत्रण को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश–
(1) कमांक 454 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 24.03.2020,
(2) कमांक 489 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020, बलौदाबाजार, दिनांक 31.03.2020,
के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

District Magistrate Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

08-04-2020

(कार्तिकेया गोयल) I.A.S
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner

पृ. क्रमांक / 524 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2020 बलौदाबाजार, दिनांक 08.04.2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जिला पंचायत, सभी जनपद पंचायत एवं सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
9. अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
12. तहसीलदार / कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / कसडोल को सूचनार्थ, अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराने एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका / पंचायत अधिकारी, (समस्त, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सर्व विभाग प्रमुख, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
17. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

Kbvel
08-04-2020

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner